



समाहरणालय, गोड्डा।

(जिला राजस्व शाखा)

acgodda2010@gmail.com

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

भारत सरकार/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कम्पनियों/प्रतिष्ठानों/उद्यमों/एजेंसियों/निगम/बोर्ड (प्रयोक्ता एजेंसी) के लिए गैर मजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ जंगल इत्यादि) के उपयोजन हेतु नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नवत् निर्गत किया जाता है :-

क्र०	प्रखंड का नाम	मौजा का नाम	जमाबंदी नं०	दाग नं०	रकवा (हे० में)	भूमि का किस्म	अभ्युक्ति
1	पोडैयाहाट	सिधबांक-206	96	1537	0.031	जंगल साल	
				1569	0.026	जंगल साल	
				1085	0.004	जंगल साल	
2	पोडैयाहाट	बोहा-204	87	633	0.044	जंगल झाड़ी	
कुल रकवा :-					0.105		

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ, जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सःशुल्क हस्तांतरण/लीज बंदोवस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

उपायुक्त
गोड्डा

ज्ञापांक .1.2.1.6../रा०, गोड्डा, दिनांक - 17/10/2023

प्रतिलिपि :- मुख्य प्रबंधक (परियोजना-पाईपलाइन), नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, गुवाहाटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Indrajit Kaman
Chief Manager (Project Pipeline)
Numaligarh Refinery Ltd
122A, G. S. Road, Christianbasti
Guwahati-781005

Maun Prakash
Divisional Forest Officer
Godda Forest Division
Godda

उपायुक्त
गोड्डा